क्रम-संख्या—63

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शुक्रवार, 17 मार्च, 2006**
फाल्गुन 26, 1928 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 259/सात–वि०–1-01(क)6-2006

लखनऊ, 17 मार्च, 2006

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 14 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

## उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2006)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(झ) खाली पड़ी हुई भूमि को तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वर्तमान अधिभोग में रहने वाले आवासीय गृहों को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय की आपसी सहमति से यथानुपात बांटा जायगा।"

नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता

4--क (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को राज्य में दन्त विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाला प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जाएगा, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, जिसे आगे इस धारा में पूर्व विश्वविद्यालय कहा गया है, से सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जाएगा :

परन्तु ऐसे दिनांक को जो इस धारा के अधीन अधिसूचित किया जाय, विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय या संस्था में दन्त विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र को पूर्व विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन पूरा करने की अनुमति होगी और पूर्व विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों की परीक्षा का आयोजन करेगा और पूर्व विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार उसे उपाधि या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि सम्बद्धता की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

धारा 8 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 8 में (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(ज) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ,"

धारा 12 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 12 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) संकाय का अध्यक्ष, "

धारा 14 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (11) में शब्द "प्रतिकुलपति, यदि कोई हों, अथवा जहां प्रतिकुलपति न हो, वहां विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य" के स्थान पर शब्द "ज्येष्ठतम आचार्य" रख दिये जाएंगे।

धारा 16 का निकाला जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 16 निकाल दी जाएगी।

धारा 18 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद, सभा, विद्या परिषद, प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा, जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाएं या कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किये जायं किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।"

9—मूल अधिनियम की धारा 21 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित की जाएगी और यथा पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :— धारा 21 का संशोधन

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों में ऐसे स्थानों पर, जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों के चयन या निर्वाचन का उपवंध हो, वहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, उस निमित्त उपबंधित आरक्षण के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार से पदोन्नति के लिए गठित की जाने वाली चयन समितियों में और किसी अन्य समिति में भी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक होगा।"

10—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :— धारा 22 का संशोधन

"(ख) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय।"

11—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :— धारा 23 का संशोधन

"(9) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध और आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश और अनुदेश, विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान शिक्षण या शिक्षणेत्तर कर्मचारिवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए लागू होंगे।"

12—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (2) में,— धारा 27 का संशोधन

(क) खण्ड (दो) निकाल दिया जाएगा,

(ख) खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(तीन)—संकायाध्यक्ष"

(ग) खण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(चार) विश्वविद्यालय के दन्त विज्ञान संकाय के दो सेवानिवृत्त संकायाध्यक्ष, "

13—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) निकाल दिया जाएगा। धारा 28 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 32" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 33" रख दिये जाएंगे। धारा 34 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 11" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12" रख दिये जाएंगे। धारा 46 का संशोधन

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश की जनता को डेण्टल चिकित्सा से सम्बन्धित आधुनिक तथा असाध्य बीमारियों के उपचार की व्यवस्था हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के दन्त संकाय को अलग कर उसे उच्चीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में निजी क्षेत्रों में कुल 21 डेण्टल कालेज स्थापित है जो भिन्न–भिन्न विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं जिसके कारण इन कालेजों की

परीक्षाओं के आयोजन, पाठ्यक्रम आदि में एकरूपता न होने के कारण दन्त चिकित्सा शिक्षण क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी दन्त महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली आदि में एकरूपता स्थापित किये जाने तथा एक समान मानक निर्धारित किये जाने के निमित्त समस्त डेण्टल कालेजों को किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय।

डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया ने अपने पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2005 द्वारा राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि राज्य के समस्त डेण्टल कालेजों को किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय तथा इस विश्वविद्यालय को स्नातक तथा परास्नातक परीक्षा का दायित्व सौंपा जाय। समस्त दन्त महाविद्यालय को किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के बाद स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के शैक्षणिक सत्र पूरे प्रदेश के छात्रों के लिए नियमित हो सकेंगे एवं समस्त कालेजों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ से प्रदेश के समस्त निजी दन्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता के उपरांत डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया के मानक के अनुरूप शिक्षकों का चयन, शिक्षा के प्रति योगदान, विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर के मूल्यांकन तथा परीक्षा प्रणाली की एकरूपता, विनियमित करने का उत्तरदायित्व किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय का होगा जो कि प्रदेश में दन्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने में काफी सहायक सिद्ध होगा।

अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि प्रदेश के समस्त निजी दन्त महाविद्यालयों को किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

---

No. 259/VII-V-1-1(Ka)6-2006
*Lucknow, dated March* 17, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh King George Dant Vigyan Vishwavidyalaya (Sanshodan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2006.

THE UTTAR PRADESH KING GEORGE'S UNIVERSITY OF DENTAL SCIENCE (AMENDMENT) ACT, 2006

(U. P. Act no. 6 of 2006)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature )*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science Act*, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science (Amendement) Act, 2006. Short title

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 11 of 2005

2. In section 4 of the Uttar Pradesh King George's University of Dental Science Act, 2004 hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause *(h)* the following clause shall be *inserted*, namely :-

"*(i)* the land lying vacant and the residential quarters at present under accupation of the teachers and employees of the King George's Medical University shall be shared proportionately by the King George's Medical University and the University with mutual consent."

Insertion of new section 4-A

3. *After* section 4 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :-

Territorial jurisdiction of the University

4-A (1) The University shall have jurisdiction over the whole of Uttar Pradesh.

(2) Every college or institution imparting education in dental science in the State on the date of commencement of this Act shall, with effect from such date as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be affiliated to the University and shall cease to be affiliated to, or associated with the University established by or under the Uttar Pradesh State University Act, 1973 hereinafter referred to in this section as the earstwhile University :

Provided that a student pursuing his study in dental education in any college or institution, other than an existing college, on such date as may be notified under this section shall be allowed to complete his study under the earstwhile University and the earstwhile University shall held examinations of such student and confer degree or any other academic distinction to him in accordance with the procedure in force for the time being in the earsthwhile University :

Provided further that the other conditions of application shall be such as may be prescribed.

Amendment of section 8

4. In section 8 of the principal Act, *for* clause *(h)* the following clause shall be *inserted*, namely :-

"*(h)* the Vice-Chancellor, King George's Medical University, Lucknow."

Amendment of section 12

5. In section 12 of the principal Act, *for* clause *(c)* the following clause shall be *substituted*, nemely :-

"*(c)* the Dean of the Faculty;"

Amendment of section 14

6. In section 14 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "the Pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the Seniormost Professor" the words "the seniormost Professor" shall be *substituted*.

Omission of section 16

7. Section 16 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 18

8. In section 18 of the principal Act, *for* sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council, the Court, the Academic Council, the Admission Committee and the Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for transaction of thier business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section be entitled to vote."

9. Section 21 of the principal Act shall be renumbered as sub-seciton (1) thereof and *after* sub-section (1) as so renumbered the following sub-section shall be *inserted*, namely :– Amendment of section 21

"(2) In the authorities referred to in sub-section (1) in such places where there is provision for selection or election of more than one person the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizen in accordance with the reservation provided therefor shall be ensured. Similarly in the Selection Committees to be constituted for promotion and also in any other committee representation of reserved classes shall be essential."

10. In section 22 of the principal Act, in sub-section (1) *for* clause *(b)* the following clause shall be *substituted*, namely :– Amendment of section 22

"*(b)* the Vice-Chancellor, King George's Medical University;"

11. In section 23 of the principal Act, *after* sub-section (8) the following sub-section shall be *inserted*, namely :– Amendment of section 23

"(9) The provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 and the orders and instructions issued from time to time by the State Government with respect to reservation shall be applicable to the posts to be filled by direct recruitment or by promotion in every existing teaching or non-teaching staff of the University."

12. In section 27 of the principal Act, in sub-section (2),– Amendment of section 27

*(a)* clause (ii) shall be *omitted*;

*(b) for* clause (iii) in Hindi verson, the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(तीन) संकायाध्यक्ष;"

*(c) for* clause (iv) the following clause shall be substituted, namely :–

"(iv) two retired Deans of the Faculty of Dental Sciences of the University;"

13. In section 28 of the principal Act, in sub-section (1) clause *(d)* shall be *omitted*. Amendment of section 28

14. In section 34 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "section 32" the word and figures "section 33" shall be *substituted*. Amendment of section 34

15. In section 46 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the word and figures "section 11" the word and figures "section 12" shall be *substituted*. Amendment of section 46

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To provide medical care to modern and incurable diseases regarding dental science to the people of Uttar Pradesh by parting with and upgrading the Dental Faculty of King George's Medical University Lucknow, King George's University of Dental Sciences has been established. At present there have been established 21 dental colleges in Private Sector, which are affiliated to different Universities, due to which there is no uniformity in examination and courses/syllabus of these colleges resulting no consistency in the field of dental education. After the establishment of King George's University of Dental Sciences it is necessary to affiliate all dental colleges with dental University to establish uniformity in the examinations system and courses/ syllabus of all dental colleges in the State.

Dental Council of India has suggested the State Government in its letter dated April 11, 2005 that all dental colleges of the State should be affiliated with King George's University of Dental Sciences and this Dental University be given responsibility of Graduate and Post Graduate examinations. After affiliation of all dental colleges with King George's Dental University, Academic Sessions of Graduate and Post Graduate level, will be regularised for the students of whole of the State and all the colleges will be under effective control.

After affiliation of all the dental colleges of State with King George's University of Dental Science, the King George's University of Dental Science will be responsible for selection of teachers according to norms of Dental Council of India, contribution towards education, evaluation of standard of Student's education and regulation of uniformity of examination system which will assist to upgrade the standard of dental education and training in the State.

It has, therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh King George's University of Dental Sciences Act, 2004 to affiliate all the dental colleges of State to the King George's University of Dental Science.

The Uttar Pradesh King George's University of Dental Science (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order
RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2297 राजपत्र(हि०)–(3398)–2006–597 (कम्प्यूटर / आफसेट)
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 176 सा० विधा०–(3399)–2006–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।